सुलोचना - सुमित्रा देवी मु.नं. 11/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
15.7.24	पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोडेंटस के नोटिस लौटकर नहीं आये। वास्ते इंतजार तामील दिनांक 21.8.24 को पेश हो।	
21.8.24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.10.24 को पेश हो।	
21.10.24	पत्रावली पेश। अपीलांट उप० वास्ते तलबी दिनांक 20.12.24 को पेश हो।	
20.12.24	पत्रावली पेश। अपीलांट उप० वास्ते तलबी दिनांक 31.1.25 को पेश हो।	
31.1.25	पत्रावली पेश। अपीलाट/रस्पोडेंट के अधिवक्ता नै जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरूद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका हैं अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	